जीविका
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

जीविका समाचार पत्रिका

।। माह – जुलाई 2023 ।। अंक – 36 ।। केवल आंतरिक वितरण हेतु।।

अन्दर के पृष्ठों में...

हैण्डलूम सिल्क साड़ी के कारोबार में भरा मुनाफे का रंग
(पृष्ठ – 02)

मरीजों की मुस्कान से प्रेरित होती हैं जीविका स्वास्थ्य मित्र प्रीति
(पृष्ठ – 03)

श्रेष्ठ प्रोडयूसर कंपनी ने बढ़ाई किसानों की आय
(पृष्ठ – 04)

जीविका दीदियों के शिकायतों के समाधान का अपना मंच

सामुदायिक शिकायत प्रबंधन एवं निवारण प्रणाली सामुदायिक संगठनों और इसके सदस्यों की ओर से प्राप्त होने वाली शिकायतों को व्यवस्थित रूप से निबंधित करने, इसकी निष्पक्ष व समुचित जांच करने तथा शिकायतों का समयबद्ध तरीके से निवारण करने की एक प्रक्रिया है। जीविका में इस प्रणाली का कियान्वयन सामुदायिक संगठनों के सदस्यों और कैडरों की समस्याओं व शिकायतों के संतोषजनक निदान एवं परियोजना के कार्यों का सही संचालन हेतु किया गया है। इस प्रणाली में जीविका दीदियों की परियोजना से सम्बंधित शिकायतों का निवारण सामुदायिक स्तर पर ही किए जाने की व्यवस्था की गयी है। इसका मुख्य उद्देश्य समुदाय की जरूरतों के प्रति संवेदनशील होना, सामुदायिक संगठनों के कार्यों में पारदर्शिता लाना और अनियमितताओं को रोकना है।

सामुदायिक शिकायत प्रबंधन एवं निवारण प्रणाली में आमतौर पर समुदाय या कैडर स्तर पर आनेवाली समस्याओं और शिकायतों को चिह्नित किया जाता है। शिकायतों के प्रकार और स्तर के अनुसार उन्हें दर्ज करने की व्यवस्था की गयी है। समुदाय से सम्बंधित शिकायतों यथा–कैडर मानदेय, सामुदायिक संगठन में निधि की उपलब्धता, सामुदायिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के आचरण तथा सामुदायिक संस्थानों के संचालन के सन्दर्भ में सभी प्रकार की शिकायतें दर्ज की जाती हैं।

शिकायतकर्त्ता अपनी शिकायत सम्बंधित संकुल स्तरीय संघ के कार्यालय परिसर में लगी शिकायत एवं सुझाव पेटी में डाल सकते हैं अथवा वहां उपलब्ध शिकायत पंजी में दर्ज करा सकते हैं। शिकायत पेटी को निर्धारित समय पर खोला जाता है। पेटी खोले जाने के दिन व समय के बारे में सूचना शिकायत पेटी पर ही अंकित होती है। फोन, फैक्स, डाक या ई–मेल के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जीविका दीदियाँ अपनी समस्याओं को आम–सभा के दौरान संकुल संघ की प्रतिनिधियों के समक्ष रख सकती हैं। इसके अलावा टॉल फ्री नंबर पर फोन करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इस प्रकार विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली शिकायतों को संकुल स्तरीय संघ स्तर पर सामुदायिक शिकायत निबंधन सेवा प्रदाता (जी.आर.एस.पी.) द्वारा निबंधित किया जाता है। इसके बाद संकुल संघ स्तर पर गठित शिकायत निवारण समिति (जी.आर.सी.) द्वारा इन शिकायतों की समुचित जांच के उपरांत शिकायतों को निवारण किया जाता है।

संकुल संघ स्तर पर शिकायतों को दर्ज करने का कार्य शिकायत निबंधन सेवा प्रदाता (जी.आर.एस.पी.) के द्वारा किया जाता है। संबंधित संकुल संघ के मास्टर बुक कीपर या क्लस्टर फैसिलिटेटर जी.आर.एस.पी. के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई स्तर पर कार्यालय सहायक व लेखापाल, जिला परियोजना समन्वयन इकाई स्तर पर प्रबंधक संचार या प्रबंधक–अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा राज्य स्तरीय कार्यालय (राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई) में परियोजना प्रबंधक–संचार शिकायत निबंधन पदाधिकारी (जी.आर.ओ.) के रूप में कार्य करते हैं।

शिकायतों को दूर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। संकुल स्तरीय संघ स्तर पर सात सदस्यीय शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। इसमें आम निकाय प्रतिनिधि (आरजीबी) के 6 सदस्य और 1 सदस्य पदधारी (ओ.बी.) में से कोई एक होते हैं। बीपीआईयू स्तर पर शिकायत निवारण समिति में संबंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधक, जीविकोपार्जन विशेषज्ञ, क्षेत्रीय समन्वयक या सामुदायिक समन्वयक शामिल होते हैं। इसी प्रकार डीपीसीयू एवं राज्य कार्यालय स्तर पर भी नियमानुसार सामुदायिक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया है। प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर इस समिति के अतिरिक्त एक शिकायत सरलीकरण समिति का भी गठन किया गया है, जो आवश्यकतानुसार शिकायतों के निवारण में शिकायत निवारण समिति की मदद करती है। शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण 21 दिनों के अन्दर कर दिया जाता है। अगर शिकायतकर्ता प्राप्त जवाब/ निर्णय से संतुष्ट नहीं होता है तब एक माह के अन्दर एक स्तर ऊपर के कार्यालय/समिति में अपील कर सकता है और वहां से शिकायत का समाधान पा सकता है।

हैण्डलूम सिल्क साड़ी के कारोबार में भरा मुनाफे का रंग

भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड अन्तर्गत मोहीबअलीचक गांव की रहने वाली बीबी शबनम का परिवार परम्परागत रूप से सिल्क कपड़ों की बुनाई का कार्य करता था। इनका परिवार पहले महाजन से धागा लेकर सिल्क कपड़ों की बुनाई का कार्य करता था। इसके बदले उन्हें मजदूरी मिलती थी, जिससे परिवार का भरण–पोषण मुश्किल से हो पाता था। इस कार्य से आय बेहद सीमित होने के कारण परिवार के सामने आर्थिक संकट की स्थिति बनी रहती थी।

बीबी शबनम समा जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य है। इस गांव में 35 से ज्यादा परिवार बुनकर के कार्य से जुड़े हैं। ऐसे में गांव के इन सभी बुनकर परिवारों को संगठित करते हए प्राची जीविका महिला रेशम वस्त्र उत्पादक समूह का गठन किया गया है। बीबी शबनम भी इसकी सदस्य है। उत्पादक समूह के गठन से हैण्डलुम से सिल्क कपड़ों की बुनाई के कार्य को व्यवसायिक रूप मिला है। बीबी शबनम अब बाजार से सीधे धागा खरीदकर हैण्डलूम सिल्क कपड़ों की बुनाई करती है। इसके बाद पूरी तरह तैयार (फिनिस्ड) सिल्क साड़ियों को बाजार में बेचती है। इससे उन्हें अच्छा मुनाफा होने लगा है। अब महाजन पर इनकी निर्भरता खत्म हो गई है।

बीबी शबनम बताती हैं कि–'एक सिल्क साड़ी तैयार करने में लगभग 500 ग्राम धागा लगता है। जिसकी कीमत करीब 3200 रुपये है। इसके बाद साड़ी की बुनाई पर 650 रुपये की मजदूरी लगती है। बुनाई के बाद सिल्क साड़ियों की फिनिशिंग करवाई जाती है, जिस पर प्रति साड़ी करीब 100 रुपये खर्च होता है। इस प्रकार एक सामान्य सिल्क साड़ी की कुल औसत लागत 3950 रुपये हो जाती है।' बीबी शबनम आगे कहती हैं कि–'एक सिल्क साड़ी को वह स्थानीय दुकानदारों को या सरस मेले में 4500–4800 रुपये में बेचती है। इससे उन्हें प्रति साड़ी 500 से 800 रुपये तक का मुनाफा हो जाता है।' इस प्रकार सिल्क साड़ी की बुनाई और इसकी बिक्री करने से वह प्रतिमाह करीब 11,000 से 12,000 रुपये की आय अर्जित कर लेती है।

कोल्ड ड्रिंक्स कारोबार से साबिया बनी खुशहाल

अररिया जिले के पलासी प्रखंड के मोहनियां की रहने वाली साबिया खातून के परिवार में पति–पत्नी के अलावा तीन लड़के और दो लड़कियां हैं। एक मात्र दीदी के पति की आमदनी से परिवार का भरण–पोषण मुश्किल से हो पाता था। कम आय के कारण घर में आर्थिक तंगी बनी रहती थी। घर में पैतृक संपत्ति नहीं होने के कारण इनकी परेशानी और अधिक थी। साबिया खातून जीविका स्वयं सहायता समूह से 2018 में जुड़ीं। वह समूह की बैठकों में नियमित रूप से हिस्सा लेती थी, जिससे उन्हें कई अच्छी एवं नई जानकारियां हासिल हुई। उन्हें बचत और इससे होने वाले लाभ के बारे में समूह से ही पता चला। समूह में स्वरोजगार हेतु ऋण आसानी से उपलब्ध था। इससे प्रेरित होकर साबिया खातून ने भी समूह से ऋण लेकर रोजगार करने का मन बनाया। काफी सोच–विचार के बाद आखिरकार उन्होंने समूह से ऋण लेकर और घर से अपनी बचत के पैसे मिलाकर कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्री स्थापित की। अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर वह इस फैक्ट्री में कड़ी मेहनत करने लगी। इससे कोल्ड ड्रिंक्स का व्यापार चल पड़ा और इससे उन्हें अच्छी आमदनी होने लगी।

वर्त्तमान में इस व्यवसाय से साबिया खातून के परिवार को लगभग 30 हजार रुपये प्रतिमाह की आमदनी हो जाती है। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। अब जीविकोपार्जन के लिए वह किसी की मोहताज नहीं है। इस आमदनी से वह न केवल अपने परिवार का भरण–पोषण कर रही है बल्कि वह नियमित रूप से बचत भी करती है। बचत के पैसे एवं समूह से दोबारा ऋण लेकर उन्होंने अपने कारोबार का विस्तार भी किया है। वह समूह से अब तक 75 हजार रुपये का ऋण ले चुकी है। साथ ही व्यवसाय से होने वाली कमाई से वह समूह में ऋण की नियमित वापसी भी कर रही है। इस प्रकार कोल्ड ड्रिंक्स व्यवसाय से जुड़कर साबिया दीदी बहुत खुश है। उनका कहना है कि जीविका समूह से जुड़कर कोई भी दीदी अपना भाग्य बदल सकती है।

मरीजों की मुस्कान से प्रेरित होती हैं जीविका स्वास्थ्य मित्र प्रीति

सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, पूर्णिया के मुख्य द्वार से बमुश्किल 25 कदम आगे बढ़ने पर बायीं ओर एक छोटे से भवन में जीविका लिखा मिलता है। इस जीविका के पीछे एक केबिन है। 7 फीट चौड़े इस केबिन में 23 वर्षीया प्रीति कुमारी बैठती हैं। हंसमुख, उत्साही, तत्पर तथा सेवा भाव से ओतप्रोत प्रीति स्नातक उतीर्ण हैं और आज "जीविका स्वास्थ्य सहायता केंद्र" में स्वास्थ्य मित्र के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रही हैं। प्रीति की माँ गीता देवी वर्ष 2017 से द्रौपदी जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हैं। आत्मविश्वासी प्रीति स्नातक के बाद काम की तलाश में थी। तभी इनके नजदीक के राखी जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ में जीविका स्वास्थ्य मित्र की बहाली की प्रक्रिया आरम्भ हुई। आवेदन जमा करने के उपरांत परीक्षा में उतीर्ण होकर प्रीति 15 नवम्बर 2022 से इस अस्पताल में स्वास्थ्य मित्र के रूप में सैकड़ों लोगों के लिए परामर्शदात्री का काम रही हैं।

जीविका स्वास्थ्य सहायता केंद्र जीविका तथा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से संचालित सरकार की एक अनूठी पहल है। इस केंद्र के माध्यम से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों तथा उनके परिजनों को समुचित सलाह देकर मदद पहुंचाना है, जो जानकारी के अभाव में व्यर्थ ही अस्पताल में चक्कर काटते रहते हैं और इलाज के लिए सही विभाग का चयन नहीं कर पाते हैं। प्रीति इस कार्य में निपुण हो चुकी है। हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से प्रीति सैकड़ों मरीजों को नि:शुल्क परामर्श देकर उनके इलाज के मार्ग को आसान बना रही हैं। वह कहती है, 'सही जानकारी पाकर समय से इलाज होने पर मरीज ठीक होकर मुझे धन्यवाद देने आते हैं। उनके चहरे का भाव देख कर सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। कभी–कभी काउंटर पर अचानक भीड़ जमा हो जाती है। तब संयम के साथ बारी–बारी से सभी को सही जानकारी उपलब्ध कराते हैं। यही एक चुनौती है जिसका सामना करने में खुशी मिलती है।'

दीदी का सिलाई घर : रोजगार का खुला आकाश

भोजपुर जिला के कोईलवर प्रखंड में स्थित बिहार राज्य मानसिक आरोग्य एवं सम्बद्ध संस्थान में दीदी का सिलाई घर की स्थापना 13 सितम्बर 2022 को की गई थी। यह 10,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। जिसमें 150 दीदियों के बैठने की क्षमता है। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा 16 सितंबर 2022 को की गई थी। वर्त्तमान में 120 महिलाएँ इस केंद्र से जुड़कर सिलाई का कार्य कर रही हैं। सिलाई के लिए सभी आवश्यक सामग्रियों की खरीदारी दीदियां खुद से ही करती हैं। इसके लिए एक पांच सदस्यीय खरीदारी समिति का गठन किया गया है।

दीदी का सिलाई घर के द्वारा विभिन्न प्रकार के ड्रेसों एवं वस्त्रों की आपूर्ति कई सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों को किया जा रहा है। मानसिक आरोग्य अस्पताल के मरीजों को ड्रेस, दीदी की रसोई में कार्य करने वाली दीदियों का ड्रेस, सदर अस्पताल के स्वास्थ्य सहायता केंद्र में कार्य करने वाली दीदियों के लिए ड्रेस के अलावा विभिन्न प्रकार के बैग की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा पेटीकोट, नाइटी एवं अन्य प्रकार के वस्त्रों का भी निर्माण किया जा रहा है। दीदी का सिलाई घर में कपड़ों की सिलाई तथा इसकी बिक्री से अब तक कुल 6,54,650 रुपये की आय हुई है। वहीं इससे 3,74,071 रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है।

नया मुहम्मदपुर गाँव की रहने वाली अंजली देवी का चयन सिलाई के कार्यों में रूचि को देखते दीदी का सिलाई घर के लिए किया गया था। प्रशिक्षण के उपरांत उनके कार्य अनुभव को देखते हुए उन्हें सिले हुए कपड़ों की चेकिंग का कार्य मिला। इस काम के लिए इन्हें 5500 रुपये प्रति माह का मेहनताना मिलता है।

कोईलवर स्थित दीदी का सिलाई घर द्वारा छोटी–बड़ी औद्योगिक इकाइयों को मांग के अनुसार कपड़ों की आपूर्ति की जा रही है। अपने उद्यम का सफलतापूर्वक संचालन करते हुए इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया है।

श्रेष्ठ प्रोड्यूसर कंपनी ने बढ़ाई किसानों की आय

समस्तीपुर के किसान अपने उत्पादों की बिक्री सामान्य रूप से ग्राम स्तर पर स्थानीय व्यापारियों के माध्यम से करते हैं। इसके इतर बड़ी मंडियों या बाजारों को बिचौलियों द्वारा कई स्तरों पर नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है। सामान्यत: किसानों के पास काफी कम विकल्प होते हैं कि वे अपने उत्पादों को सीधे बाजार मे बेच सकें। क्योंकि एक किसान के पास काफी कम मात्रा में उत्पाद होता है। छोटे और सीमांत किसानों को इक्ट्ठा करना बेहद कठिन कार्य है। इस कारण बिहार के किसान अपने उत्पादों को ग्रामीण स्तर पर ही बिचौलियों को बेच देने के लिए मजबूर हैं।

छोटे और सीमांत किसानों की इन परिस्थितियों को देखते हुए समस्तीपुर में **'श्रेष्ठ विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड'** का गठन 20 सितम्बर 2018 को किया गया था। जिससे समस्तीपुर जिले के छोटे किसानों को उनके उत्पादों को एकत्रित कर बाजार से जुड़ाव (मार्केट लिंकेज) की सुविधा प्रदान की जा सके। 'श्रेष्ठ विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड' ने कृषि इनपुट से अपने उद्यम की शुरूआत की थी। बाद में गेहूँ, मक्का एवं धान के स्पॉट ट्रेडिंग का भी काम शुरू किया गया। कुछ समय के बाद श्रेष्ठ विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा मसालों के व्यापार में मूल्य संवर्द्धन का भी काम शुरू किया गया। श्रेष्ठ कृषक उत्पादक कंपनी के द्वारा बीज विपणन का कार्य भी सरायरंजन प्रखंड में जीविका किसान दीदियों के साथ शुरू किया गया है।

समस्तीपुर बिहार के प्रमुख मसाला उत्पादक जिलों में से एक हैं। हल्दी के उत्पादन को बढ़ावा देते हुए इसे 'एक जिला एक उत्पाद' के अंतर्गत चयन किया गया है। जीविका द्वारा संपोषित श्रेष्ठ विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सहयोग से 150 से अधिक किसान दीदियों के साथ हल्दी की खेती की जा रही है। कंपनी द्वारा हल्दी का प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग कर जीविका के 'ग्रीन डी लाईट स्टोर' के माध्यम से इसका विपणन किया जा रहा है। श्रेष्ठ विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना अंतर्गत मसाले का प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने हेतु एक करोड़ उन्नीस लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने हेतु समस्तीपुर के बियाडा क्षेत्र में आधा एकड़ भूमि का आवंटन श्रेष्ठ विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को किया गया है। इसकी कार्य योजना तैयार कर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा प्रतिदिन लगभग 800 किलोग्राम प्रसंस्कृत हल्दी का उत्पादन करने की योजना है।

कारोबार का बढ़ता ग्राफ :– श्रेष्ठ विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड पिछले चार वर्षों से कृषि उत्पादों से जुड़ा व्यवसाय कर रही है। इसे 20 सितम्बर 2018 को कंपनी अधिनियम के तहत उत्पादक कंपनी के रूप में शामिल किया गया। 31 मार्च 2021 तक कंपनी के पास अधिकृत पूँजी दस लाख रुपये तथा प्रदत्त पूँजी तीन लाख एक हजार रुपये था। श्रेष्ठ विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में 245 मिट्रिक टन मक्का तथा 243 मिट्रिक टन गेहूँ का व्यापार किया गया था। श्रेष्ठ विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018–19 में 82,120 रुपये को करोबार किया था। वित्तीय वर्ष 2021–22 में यह आंकड़ा बढ़कर 1 करोड़ 31 लाख रुपये हो गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2022–23 में कंपनी के द्वारा 1 करोड़ 94 लाख 68 हजार रुपये का कारोबार किया गया। यह आंकड़ा कंपनी के बढ़ते आयाम को दर्शाता है।

श्रेष्ठ विमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की व्यापारिक गतिविधियाँ

व्यवसाय का क्षेत्र	व्यापारविवरण
कृषि इनपूट व्यापार	बीज, उर्वरक, कार्बनिक उर्वरक
कृषि उत्पादन व्यापार	गेहूँ, मक्का एवं धान
मूल्य संवर्धन व्यापार	हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लालमिर्च पाउडर, जीरा, अजवाईन, मेथी, पिला सरसों, काली मिर्च,
एफएसएफ ६ ग्रामीण खुदरा व्यापार	चावल, दाल, सरसों तेल इत्यादि

जीविका, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, विद्युत भवन – 2, बेली रोड, पटना – 800021, वेबसाइट : www.brlps.in

- संपादकीय टीम
- श्रीमती महुआ राय चौधरी –कार्यक्रम समन्वयक (जी.के.एम.)
- श्री पवन कुमार प्रियदर्शी – परियोजना प्रबंधक (संचार)

संकलन टीम
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, बेगूसराय
- श्री विकास राव – प्रबंधक संचार, भागलपुर
- श्री राजीव रंजन – प्रबंधक संचार, सिवान
- श्री रौशन कुमार – प्रबंधक संचार, लखीसराय
- श्री बिप्लब सरकार – प्रबंधक संचार